मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक २४ जुलाई, २०१९ को यथापारित और राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाये गये रूप में मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१९ (क्रमांक ११ सन् २०१९)

[मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा यथापारित]

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१९

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१९.

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा १५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० (क्रमांक १५ सन् १९९०) की धारा १५ में, उप-धारा (१) में,—

(एक) खण्ड (छह) और (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(छह) मध्यप्रदेश राज्य का एक संसद सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(सात) मध्यप्रदेश राज्य से राज्यसभा का एक सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(दो) खण्ड (नौ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(नौ) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित विभिन्न तीन राज्यों के प्रत्येक का एक संचार प्रतिनिधि;";

(तीन) खण्ड (तेरह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तेरह) ख्यातिप्राप्त जनसम्पर्क का विशेषज्ञ या विज्ञापन क्षेत्र का विशेषज्ञ, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(चार) खण्ड (पंद्रह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाए, अर्थात्:—

"(पन्द्रह) महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली (इंडियन ईस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन);";

(पांच) खण्ड (बीस), (इक्कीस) और (बाईस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(बीस) भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर) के दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक पांच प्रसार वाले समाचार पत्रों में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(इक्कीस) भारत के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(बाईस) अपर मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशित कोई प्रतिनिधि जो सचिव से निम्न श्रेणी का न हो;";

(छह) खण्ड (पच्चीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(पच्चीस) मनोरंजन संचार क्षेत्र का एक वरिष्ठ विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(सात) खण्ड (सत्ताईस), (अट्ठाईस) और (उनतीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(सत्ताईस) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त एक विशेषज्ञ:—

(क) टेलीविजन समाचार चैनल से एक प्रतिष्ठित पत्रकार;

(ख) कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी का एक ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ;

(ग) सोशल मीडिया का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(घ) विकास संचार का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(अट्ठाईस) दो विभिन्न राज्यों में प्रत्येक से एक विख्यात हिन्दी मीडियाकर्मी जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(उनतीस) मध्यप्रदेश के एक विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ''.

(तीस) मध्यप्रदेश विधान सभा का एक सदस्य, जो विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा.

ए.पी.सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधान सभा

राज्यपाल के संदेश दिनांक १३ दिसम्बर, २०१९ के अनुसरण में मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१९ (क्रमांक ११ सन् २०१९) पर पुनर्विचार

''विधेयक के खण्ड २ के उपखण्ड (सात) में अंतर्विष्ट मध्यप्रदेश माखललाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० (क्रमांक १५ सन् १९९०) की धारा १५ की उपधारा (१) के खण्ड (उनतीस) में किये जा रहे संशोधन की वांछनीयता पर सदन द्वारा पुनर्विचार किया जाए.''

ए.पी.सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.